संख्या 27/07/2011–एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 29/05/ 2011

आदेश 16(K)/2011

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001–एस.आर.एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अंतिम आबंटन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक 17.06.2010 एवं 14.02.2011 को हुई बैठकों की संस्तुतियों पर आधारित है ।

(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार
(के. पी. के. नंबीशन)
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नक: 1. अनुबंध (04 पृष्ठों में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से गृह (पुलिस) विभाग के 52 कार्मिकों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

Deptt. of Personnel & T.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
29 MAY 2011
जारी किया/ISSUED

विभाग   गृह (पुलिस)

राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 17.6.2010 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

क्र0 सं0	नाम व पदनाम/ TFAL	प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु /remarks
1	3	4
1.	श्री रमा शंकर यादव, आरक्षी 82	मार्च, 2005 में दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण अभी भी स्वस्थ नहीं Radiologist की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें कोई रोग नही है, सेवा के लिये फिट हैं।
2.	श्री बाबू सिंह, आरक्षी 259	एक तरफ की दो पसलिया न होने के कारण एक मात्र पुत्री निमोनिया से पीड़ित
3.	श्री अर्जुन सिंह, आरक्षी 1240	स्वयं के पैर में दर्द एवं सुन्नापन होने के कारण चलने फिरने में कठिनाई
4.	श्री गिरीश चन्द्र यादव, आरक्षी 2474	पत्नी के दोनों गुर्दे खराब श्री गिरीश चन्द्र यादव की पत्नी के देहान्त हो जाने के कारण प्रकरण निस्तारित।
5.	श्री राजेश्वर सिंह, आरक्षी 2820	पिता कैसर रोगी, इलाज कानपुर में जारी, उत्तराखण्ड 600 किमी दूर श्री राजेश्वर सिंह के पिता के देहान्त हो जाने के कारण प्रकरण निस्तारित।
6.	श्री शिव जी यादव आरक्षी 3550	चल अचल सम्पत्ति एवं मूल निवासी जनपद बलिया में/वृद्ध माता पिता/ अध्ययनरत बच्चे/स्वंय अस्वस्थ/ माता की किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस के लिये बार–बार लखनऊ आना पड़ता है, अल्प वेतनभोगी। श्री शिव जी यादव की माता के देहान्त हो जाने के कारण प्रकरण निस्तारित।

प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार

Annexure to order No. 16(5)/2011
Dated 29/04/2011

(के.पि.के. नंबिशन)
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

विभाग गृह (पुलिस)

राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 14.02.2011 की बैठक में अस्वीकृत प्रत्यावेदन

क्र0 सं0	नाम व पदनाम/TFAL	प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु ध्तमउंतो	
1	2	3	
1.	श्री लाल बहादुर, आरक्षी 100	पिता हार्ट, मिर्गी एवं ब्लड कैंसर के मरीज	पुलिस अधीक्षक, मऊ की आख्यानुसार उनके माता पिता की मृत्यू हो चुकी है।
2.	श्री राम दयाल सिंह, मुख्य आरक्षी 153	स्वयं हृदयं रोगी, इलाज बीएचयू में जारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री राम दयाल सिंह डिमेंशिया के उपचारित केस हैं तथा हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ है।
3.	श्री ब्रह्म सिंह यादव, मुख्य आरक्षी 190	स्वयं हार्निया, साइटिका, सर्वाइकल एवं हृदय रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री ब्रह्म सिंह यादव स्वस्थ है।
4.	श्री उल्फत सिंह, मुख्य आरक्षी 215	स्वयं स्नोफीलिया रोगी, कमरदर्द व दिल की बीमारी से पीड़ित	श्री उल्फत सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा अभिलेखों का अवलोकन किया गया, श्री उल्फत सिंह कैलशीफाईड ग्रनू लोमा लेफ्ट सेरी ब्रेरलर हेमी इस्फीयर विद फ्रैक्चर स्पान्ड के फलोथ्रू केस है। तथा हाई एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ नही है।
5.	श्री राम प्रीत राम, मुख्य आरक्षी 273	श्वास की नली बन्द हो जाने के कारण वर्ष 2002 से एसजीपीजी आई में इलाज जारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री राम प्रीत राम सर्वाइकल स्पान्डोलिसिस विथ मल्टीपुल लेबल डिस हॅनिर्ययेश्न विथ कम्प्रैसिव माइलोपैथी का केस है तथा हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ नही है।
6.	श्री दयाशंकर सिंह,, आरक्षी 343	आरक्षी की पत्नी श्रीमती बिन्दु सिंह पूर्व में प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र, पिन्डरा जनपद वाराणसी में सविंदा स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त रही हैं तथा अब दिनॉक 21-08-2009 से राजकीय मेडिकल कालेज, चक्रपाणि पुर आजमगढ में नियुक्त है। श्री दयाशंकर सिंह का वास्तविक टी.एफ.एल. क्रमांक- 324 न हो कर 343 है। इनकी पत्नी की नियुक्ति राज्य गठन के पश्चात की है।	
7.	श्री सुरेश चन्द्र आरक्षी 349	पत्नी का इलाज दिल्ली में जारी, स्वयं काफी दिनों से अस्वस्थ एवं पैरालाइसिस दर्द से पीड़ित प्रार्थी द्वारा दिनांक 13-01-2011 को दिये गये प्रत्यावेदन को वापस ले लिया गया है।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के दिनॉक 13-01-2011 में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि वे पूर्णतः स्वस्थ है।
8.	श्री विनोद कुमार राय, मुख्य आरक्षी, 367	स्वयं के दिमाग की नस में गांठ जिसका इलाज जारी	राज्य चिकित्सा परिषद की अख्यानुसार श्री विनोद कुमार राय सोनेटरी विथ इन्फलेमेटरी ग्रेन्यूलोमा राईट पैराइटल कार्टैक्स रिन एन्हेसिंग लीजियन विथ पेरी फोल उडिना राईट फ्रेन्टल रीजन के केस है तथा हाई एल्टीटूयड हेतु स्वस्थ नही है।
9.	श्री वशिष्ठ तिवारी, आरक्षी 922	पत्नी फालिज रोग से ग्रसित, माता के छत से गिर जाने के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट, दिमागी रूप से विकलांग भाई, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए	
10.	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा, आरक्षी 951	वर्ष 2004 में हुयी दुर्घटना में कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होने से ऊंचाई पर चढ़ पाने में असमर्थ	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिष्द द्वारा किया गया तथा इनकी विशेषज्ञ जॉच बलराम पुर चिकित्सालय के नेत्र/ अस्थि रोग विशेषज्ञों से भी कराई गई । जिनकी राय के अनुसार श्री मिश्र अपने कार्य हेतु स्वस्थ्य हैं।
11.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह 1006	स्वयं अस्वस्थ/पहाड़ पर डियूटी करने में असमर्थ	प्रत्यावेदक आस्ट्रियों अथराईटिस से ग्रस्त है।
12.	श्री राम वीर सिंह, आरक्षी 1492	साढ़े तीन वर्षीय पुत्री गुर्दे की बीमारी से पीड़ित	श्री सिंह की पुत्री कु. निक्की का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परीषद द्वारा किया गया। कु. निक्की नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम की रोगी है तथा इन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है।

Annexure to order No. 16(K)/2011
Dated 29/04/2011

(के.पि.के. नंबिशन)
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

13.	श्री माया प्रकाश, आरक्षी 1726	काफी समय से अस्वस्थ पत्नी का इलाज आगरा में जारी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार पत्नी श्रीमती सरिता यादव हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ है।
14.	श्री नीरज कुमार सिंह, आरक्षी 1830	स्वयं के गले के दाहिने तरफ काफी सूजन जिसके कारण सांस लेने व खाना खाने में परेशानी	श्री नीरज कुमार सिंह रियेक्टिव लिम्फनोड हाईपर पलसिया का केस है तथा हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ नही है।
15.	श्री फैयूयाज अहमद, आरक्षी 1938	पत्नी की बीमारी का इलाज पीजीआई में जारी	श्रीमती रोशन तारा पत्नी श्री फैयूयाज अहमद को स्वास्थ परीक्षण के उपरान्त हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ पाया गया ।
16.	श्री रमाकान्त चतुर्वेदी, आरक्षी, 1991	श्री रमाकान्त चतुर्वेदी, आरक्षी की माता श्रीमती उमा देवी का स्वास्थ्य पीक्षण किये जाने के उपरान्त इन्हें हाई एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ्य पाया गया।	
17.	श्री राजेश कुमार शर्मा, आरक्षी 2208	माता कैंसर रोगी श्री राजेश कुमार शर्मा की माता की मृत्य हो जाने के कारण प्रकरण निस्तारित।	
18.	श्री आनन्द मिश्रा, आरक्षी 2231	जनपद कानपुर मूल निवासी, 1997 बैच का आरक्षी, वृद्ध माता-पिता का उपचार S.G..P.G.I. में जारी	
19.	श्री सुधीर सिंह यादव, आरक्षी 2486	वर्ष 1999 में हृदय का आपरेशन	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री सुधीर सिंह सामान्य रोगो हेतु पूर्व में उपचारित केस है तथा वर्तमान में हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ है।
20.	श्री मुरारी लाल, आरक्षी 2568	वृद्ध एवं बीमार पिता का इलाज आगरा में जारी श्री मुरारी लाल के पिता की मृत्यु होने के कारण प्रकरण निस्तारित।	
21.	श्री अरूण कुमार, आरक्षी 2657	अस्वस्थ पत्नी	पत्नी श्रीमती रजनेश को सामान्य रोगों हेतु पूर्व में उपचारित केस पाया गया तथा वर्तमान में हाई एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ हैं।
22.	श्री सईद अहमद, आरक्षी 2765	पत्नी दिमागी बीमारी से पीड़ित	श्री सईद अहमद की पत्नी श्रीमती निशा खातून का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुये जहाँ पर इन्हें हाई एल्टीट्यूट हेतु स्वस्थ पाया गया ।
23.	श्री वीरेश कुमार, आरक्षी 2811	पिता रियूमेटिक, आर्थरा0 यूरेथ्रा, स्ट्रक्चर एवं किडनी जैसी बीमारियों से ग्रसित, दो बहनों के विवाह की जिम्मेदारी	
24.	श्री पुरूषोत्तम कुमार, आरक्षी 2891	2005 में दुर्घटना में इन्जरी का इलाज केजीएमसी में जारी, गम्भीर रूप से पत्नी बीमार	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री पुरूषोत्तम कुमार, आरक्षी हाईएल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ है।
25.	श्री मनोहर सिंह, आरक्षी 2909	दो बार दुर्घटना होने से टांग का टूटना एवं उसमें राड का पड़ा होना	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार पैर छोटा बड़ा है।
26.	श्री गोपाल सिंह यादव, आरक्षी 3252	12 जुलाई, 2001 को कर्त्तव्यपाल के दौरान शातिर अपराधियों से मुठभेंड़ में स्वयं घायल जिसका इलाज गांधी मेमोरियल हास्पिटल, लखनऊ में जारी	श्री गोपाल सिंह यादव, आरक्षी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा अभिलेखों का परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया गया तथा इन्हें हाई एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ्य पाया गया।
27.	श्री राजीव कुमार सिंह, आरक्षी 3271	स्वयं हृदयरोगी	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार स्वस्थ पाये गये।
28.	श्री राम बाबू, आरक्षी 3280	3-4 वर्ष से पत्नी पेट व गर्भाशय की बीमारी से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार पूर्णतः स्वस्थ पाये गये।
29.	श्री अशोक प्रसाद, आरक्षी 3365	पत्नी के मस्तिष्क में चोट	श्री अशोक प्रसाद की पत्नी श्रीमती चिन्ता देवी का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त इन्हें हाई एल्टाट्यूड हेतु स्वस्थ्य पाया गया।
30.	श्री उमेश सिंह, आरक्षी 3411	पत्नी वर्ष 1988 से लगातार बीमार जिसका पेट का तीन बार, छाती का एक बार व नसों का सौ बार आपरेशन हो चुका है किन्तु बीमारी से निजात नहीं	श्री उमेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि वह वर्ष 2005 में पत्नी को लेकर लखनऊ मेडिकल कराने गये थे, परन्तु यह कह कर वापस कर दिया गया कि डाक्टर साहब जा चुके हैं अगली तारीख को आना। अब उन्होने मेडिकल बोर्ड जाने में असमर्थता व्यक्त की है।
31.	श्री जयकरन यादव, आरक्षी 3545	पत्नी की किडनी डैमेज	श्री जयकरन यादव की पत्नी श्रीमती उषा यादव का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा विशेषज्ञ राय हेतु

Annexure to order No. 16(4)/2011
Dated 29/4/2011

(के.पी.के. नम्बिशन)
(K. P. K. NAMBISSAN)
उप सचिव / Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel ...

			बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ सन्दर्भित किया गया, जिसके अनुसार इन्हें किडनी से संबंधित अथवा न्यूरो से सम्बन्धित कोई भी रोग नही है।
32.	श्री विनोद कुमार, आरक्षी 3671	जनपद गोरखपुर मूल निवासी, परिवार का अकेला जिम्मेदार व्यक्ति, वृद्ध माता-पिता, कैंसर रोगी पत्नी का इलाज जारी। श्री विनोद कुमार ने यह प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी पत्नी के दों त्रत में कैंसर से तत्समय परेशानी थी अब ठीक हो गया है, परन्तु उत्तराखण्ड आवंटन हेतु मा. उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है। यह संस्तुति मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त प्रभावी होगी।	श्री विनोद कुमार ने यह प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी पत्नी के दों त्रत में कैंसर से तत्समय परेशानी थी अब ठीक हो गया है, परन्तु उत्तराखण्ड आवंटन हेतु मा. उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त है।
33.	श्री संजय कुमार सिंह आरक्षी 3708	बिहार राज्य मूल निवासी, पुत्री के सिर में गम्भीर चोट लगने के कारण चलने फिरने में असमर्थ, इलाज बी0एच0यू0 में जारी।	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री संजय कुमार सिंह की पुत्री नेहा सिंह वर्तमान में हाई-एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ पायी गई ।
34.	श्री आदेश कुमार तिवारी, आरक्षी 3842	स्वयं की रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण हड्डी रोग से पीड़ित	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार श्री संजय कुमार सिंह की पुत्री नेहा सिंह वर्तमान में हाई-एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ पायी गई ।
35.	श्री मनोज कुमार सिंह, आरक्षी 3937	पत्नी के सीने में दर्द	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार पत्नी स्वस्थ पायी गयी।
36.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, आरक्षी 3145	स्वयं जांडिस एवं स्नोफीलिया रोग से ग्रसित, पिता हार्ट एवं स्नोफीलिया रोग से ग्रसित, माता गुर्दा रोग से पीड़ित जिसका इलाज एसजीपीजीआई में जारी	1- श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह हेपेटाइटस के फालोथ्रू केस है तथा हाई एल्टाट्यूड हेतु स्वस्थ्य हैं। 2- श्री सिंह की माता श्रीमती कमला देवी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा वह काक्स लंग विद किडनी आपरेशन फलोथ्रू केस हैं तथा हाई एल्टीट्यूड हेतु स्वस्थ नही है।

प्रश्नगत बीमारी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा इनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करने की संस्तुति की है ।

श्री सुरेश पाल सिंह, मुख्य आरक्षी TFAL126 के दिनॉक 30-06-2010 को मृत्यु होने के कारण 1 vacancy उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित

Annexure to order No. 16(K)/2011
29/04/2011

(के.पी.के. नंबिशन)
(K. P. K. NAMBISAN)
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India